

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ. सौम्या झा, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

41 / 2024
01.03.2024

- 1-मोती पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी ऊम तहसील व जिला टोंक राज०
2-मोरपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी ऊम तहसील व जिला टोंक राज०

बनाम

-अपीलान्ट्स

तहसीलदार टोंक जिला-टोंक

-रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार टोंक दिनांक 16.01.2024 मिसल नम्बर 964 / 2024

- उपस्थिति : (1) श्री जोधराज गुर्जर, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 21.05.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 16.01.2024 के द्वारा अपीलान्ट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 234 में रकबा 1.0116 है० किस्म गै०मु०तलाई वाके ग्राम युसुफगंज ऊर्फ रामनगर तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर सरसो की फसल काशत कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 425/रू. पेनल्टी कायम कर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं परोकार सरकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा काशत नहीं रहा है। अपीलांट ने उक्त आराजी पर आज तक कभी भी कोई फसल काशत नहीं की है ओर ना ही कब्जा करने हेतु अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का के बयान लेखबद्ध नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही निर्णय से तीन सजाये क्रमशः बेदखल करने, पेनल्टी आरोपित करने व सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलांट


जिला कलेक्टर
टोंक

ने वर्तमान में उक्त आराजी पर से अपना कब्जा हटा लिया है। अपीलान्ट्स ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 234 में रकबा 1.0116 है 0 किस्म गै0मु0तलाई वाके ग्राम युसुफगंज ऊर्फ रामनगर तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काशत कर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है, परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की ओर से दिनेश की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 234 में रकबा 1.0116 है 0 किस्म गै0मु0तलाई वाके ग्राम युसुफगंज ऊर्फ रामनगर तहसील टोंक पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1164/2023 निर्णय दिनांक 16.02.2023 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट्स ने न्यायालय हाजा में अपील मीमो के साथ ही दिनांक 28.02.2024 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि पर से अपना कब्जा मौके से हटा लिया है और अब में भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 16.01.2024 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक